

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दिनांक - 17 जनवरी, 2019

सूचना

प्रकाशक कृपया ध्यान दें :

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आर.एन.आई.) में आगंतुकों की शिकायतों के निवारण तथा शीघ्र निपटान को ध्यान में रखते हुए ऑन लाइन टोकन जेनरेशन प्रणाली के लिए आगंतुकों से इस कार्यालय में उनके लम्बित प्रस्तावों के स्पष्टीकरण के संबंध में सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, फरवरी 2019 से पंजीयन/ शीर्षक एवं संबंधित मामलों के अधिकारी/ अनुभाग प्रमुख **प्रत्येक मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे तक मुलाकात करेंगे।** केवल आर.एन.आई. वेबसाइट (<http://rni.nic.in>) द्वारा ऑन लाइन टोकन जेनरेशन से पूर्व अनुमति पर विचार किया जाएगा। मुलाकात के लिए दस्ती टोकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑन लाइन टोकन प्रदान करने के दिशा निर्देश

1. 1 फरवरी, 2019 से आर.एन.आई. कार्यालय में आगंतुकों के लम्बित मामलों के स्पष्टीकरण के लिए मुलाकात के लिए ऑन लाइन टोकन जेनरेशन द्वारा ही प्रवेश सीमित किया जाता है।
2. आगंतुक आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधानुसार एक पखवाड़ा पहले अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। **प्रत्येक पखवाड़े के प्रारंभ में विंडो शुरू करने का दिन आर.एन.आई. की वेबसाइट पर अग्रिम में बता दिया जाएगा।**
3. **प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को 20 टोकन प्रदान किये जाएंगे।** उक्त दिनों पर अवकाश होने की स्थिति में किसी अन्य दिवस पर टोकन प्रदान नहीं किया जाएगा।

4. इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने से पहले आगंतुकों से अनुरोध है कि आवेदन जमा करने के बाद (सभी श्रेणियों में, जैसे - शीर्षक सत्यापन , पंजीयन, संशोधित पंजीयन तथा इस कार्यालय से विसंगति पत्र जमा होने के बाद), वे न्यूनतम 45 कार्य दिवस दें। इस प्रकार के मामलों में टोकन प्रदान नहीं किये जाएंगे।
5. महीने में एक बार मुलाकात हो जाने के पश्चात प्रकाशक को उसी महीने दोबारा मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. प्रकाशन का प्रतिनिधित्व करने वाले आगंतुक (स्वामी / प्रकाशक के अलावा) को प्रकाशक से एक आधिकारिक पत्र लाने की आवश्यकता होगी। ऑन लाइन आवेदन/ टोकन जनरेशन के साथ प्रस्तुत फोटो आई.डी. तथा प्रकाशक का प्राधिकरण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे मुलाकात के लिए साथ लाना आवश्यक होगा।
7. आगंतुक जिन्होंने अपना स्लॉट बुक किया है, कृपया इस कार्यालय में वास्तविक रूप से मुलाकात करने से पूर्व अपने लम्बित मामलों के निवारण हो जाने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि इस कार्यालय का प्रयास है कि शिकायतों का निराकरण उनके मुलाकात की तारीख से पहले ही कर दिया जाए। इस बारे में प्रत्युत्तर उनके कार्यालय/ रजिस्टर्ड मेल आई.डी. पर भेज दी जाएगी।

टोकन की उपलब्धता तथा निरस्तीकरण आर.एन.आई. का विवेकाधिकार है, जिस पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। आर.एन.आई. कार्यालय उपरोक्त निर्दिष्ट दिनों के अतिरिक्त मुलाकात के लिए विचार नहीं करेगा। मुलाकात के लिए मैनुअल टोकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

.....

आर. एन. आई. में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जनहित में जारी।

Office of Registrar of Newspaper For India
Ministry of Information & Broadcasting
9th Floor, Soochna Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003

January 17, 2019

NOTICE

KIND ATTENTION PUBLISHERS:

With a view to expedite and streamline the complaint redressal for the visitors coming to the office of the Registrar of Newspapers for India (RNI) in New Delhi, it has been decided to initiate an online token generation system for visitors seeking clarifications on their proposals pending in this office.

Accordingly, starting from February 1, 2019, officers/ section heads dealing with various registration/title and other related matters, **will meet the visitors jointly between 4:00pm to 5:00pm on Tuesdays and Thursdays**. Visitors can make prior appointment for meeting the officials, **through the online token generation window available on RNI website (<http://rni.nic.in>)** as per the following guidelines. No manual token will be considered for the meeting.

Guidelines for issuing online token

1. Starting February 1, 2019, visitors' entry to RNI, seeking clarification on their pending issues will be restricted by prior appointments fixed through online token generation.
2. Visitors can book their slots through the facility available on RNI website, a **FORTNIGHT in advance**. Opening day for each fortnightly window will be intimated (and prominently displayed) sufficiently in advance on the RNI website. .
3. **Twenty (20) tokens will be generated** per day for each of Tuesdays and Thursdays. In case of a public holiday on any of these days, NO alternate day will be considered.
4. However, before personally approaching this office, visitors are requested to give a minimum of 45 working days after submission of applications (in all categories such as Title Verification, Registration, Revised Registrations and after submission of documents following issuance of Discrepancy Letters from this office). **Tokens will not be generated in such cases.**
5. Also in case of appointment once made, the publication will not be given appointment for that month again.

6. Visitors representing publications (other than Owner/Publisher) will be required to bring an authorization letter from the Publisher, while **all visitors will be required to carry a valid photo Id.** It would be appreciated if the same can be uploaded online while submitting the request for appointment/token generation.
7. Visitors who have booked their slots may **still wait for response(s), if any, from this office regarding their pending proposals before actually paying the visit,** since the effort of this office is to expedite their grievance redressal and may have sent them a reply before due date of their visit. **Such responses, if any, will be sent to their official/registered mail ID.**

Generation and rejection of token will be RNI's discretion and cannot be contested. Office of RNI will not entertain visitors except on the day, time designated/indicated as above. No manual token will be considered for the meeting.

Issued in public interest with the approval of competent authority in RNI.